

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक जुलाई, 2014

संख्या-1/एल1-10-02/2007 गृ0आ0 / श्रीमती के0एस0 अनुपम, भा0पु0से0 (1998) पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना सं0 3709, दिनांक 02.05.2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 01.05.2014 से 29.06.2014 तक कुल 60 (साठ) दिनों की उपार्जित अवकाश को संशोधित करते हुए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 20.05.2014 से 18.07.2014 तक कुल 60 (साठ) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. श्रीमती अनुपम के अवकाश अवधि में श्री जियाउल हसन खान, पुलिस उप-महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ एवं वितन्तु, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल1-10-02/2007 गृ0आ0 / पटना, दिनांक जुलाई 2014
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल1-10-02/2007 गृ0आ0 / पटना, दिनांक जुलाई 2014
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल1-10-02/2007 गृ0आ0 6271 / पटना, दिनांक 95 जुलाई 2014
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्रीमती के0एस0 अनुपम, भा0पु0से0 (1998) पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना/श्री जियाउल हसन खान, पुलिस उप-महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ एवं वितन्तु, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।